(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4477/2018/झाबुआ/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 28.04.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 242/अपील/16-17.

प्रेमचन्द पिता थावरिया भाभोर
निवासी ग्राम पिथनपुर,
तह. व जिला झाबुआ, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

दीपक पिता धनसिंह भाभोर
निवासी ग्राम पिथनपुर,
तह. व जिला झाबुआ, म.प्र. .....अनावेदक

श्री शलभ शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री सचिन परमार, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 28.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पिथनपुर तहसील व जिला झाबुआ के रिक्त पटेली पर पर अनावेदक की नियुक्ति नहीं किये जाने से अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व झाबुआ के प्रकरण क्रमांक 07/अ-55/2015-16 में दिनांक 30.09.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर

कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 01/अपील/2016-17 दर्ज कर आदेश दिनांक 23.01.2017 से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.09.2016 निरस्त कर प्रकरण पुन: आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.04.2018 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में बिना अभिलेख का अवलोकन किये यह निर्धारित किया है कि ठहराव प्रस्ताव में काट-पीट किये जाने से शंकास्पद होकर स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को बिना किसी उचित आधार के यथावत रख दिया गया, जो प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। यह भी अवलोकनीय है कि ठहराव प्रस्ताव में न तो कोई काट-पीट की गई है और न ही ऐसा कोई आधार उपलब्ध है, जो ठहराव प्रस्ताव को किसी भी रूप से शंकास्पद बनाता हो। इस प्रकार से अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(2) तहसीलदार द्वारा जारी उद्घोषणा में योग्यता के संबंध में मात्र यह शर्ता अधिरोपित की गई है कि आवेदक पढा-लिखा हो उद्घोषणा में आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उद्घोषणा में यह भी अभिलिखित है कि पढे-लिखे होने की शर्त में शिथिलता दी जा सकती है। इस कारण से अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जो आदेश पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण होकर निरस्ती योग्य है।

(3) अपर कलेक्टर द्वारा बिना किसी ठोस एवं उचित कारण से पुन: विज्ञप्ति जारी करने का जो आदेश प्रदान किया गया है, वह किसी भी दृष्टि से विधि अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश भी विधिनुकूल न होने से निरस्ती योग्य है।

(4) अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के तथ्य को पूर्णत: नजर अंदाज कर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है, जो कि निरस्ती योग्य है।

(5) अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा ऐसा एक भी कारण उल्लेखित नहीं किया है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किस प्रकार से प्रकरण की सूक्ष्म विवेचना नहीं की और किस प्रकार से तहसीलदार द्वारा प्रेषित अभिमत एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुमति एवं अवैध अथवा त्रुटिपूर्ण है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अत: उनके द्वारा मौखिक रूप से तर्क प्रस्तुत करते हुए अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंचायत प्रस्ताव में काट-पीट है तथा दोनों पक्ष के लिए प्रस्ताव है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि आपराधिक प्रकरण की जानकारी अनावेदक के विरूद्ध न लेकर उसके पिता के विरूद्ध ली गई है। अत: अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर पुन: कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, वह उचित है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2018 एवं अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ का आदेश दिनांक 23.01.2017 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर